Indian J. Soc & Pol. 03(02): 2016: 115-118 **ISSN 2348-0084 (P)**
ISSN 2455-2127 (O)

भारत में उच्च शिक्षा में पहुँच का स्तर एवं उसके निर्धारक तत्व

राधा परमार[1], सुधा सिंह[2], देबी प्रसाद सिंह[3],बसन्त बहादुर सिंह[4],
[1]अनुसंधित्सु, शिक्षा संकाय, आर॰बी॰एस॰ कॉलेज, आगरा, उ0प्र0, भारत
[2]अनुसंधित्सु, शिक्षा संकाय, आर॰बी॰एस॰ कॉलेज, आगरा, उ0प्र0, भारत
[3]असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, इंदिरा गांधी नेशनल टाइवल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, म0प्र0 भारत
[4]एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, आर॰बी॰एस॰ कॉलेज, आगरा, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

उच्च शिक्षा तक पहुँच के स्तर में बड़े पैमाने पर जटिलताएँ एवं अनेक मुद्दे विद्यमान हैं। देश के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों में सकल नामांकन अनुपात दमन एवं दीव में 4.2 प्रतिशत से चण्डीगढ़ 53.0 प्रतिशत के बीच है। राज्यों औसत सकल नामांकन अनुपात (जो कि जनसंख्या से भारित नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय औसत से मेल नहीं खाता) मात्र 15.0 प्रतिशत है। अनेक छोटे बड़े राज्यों में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से नीचा है। (झारखण्ड में 8.4 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 11.0 प्रतिशत, बिहार में 13.1 प्रतिशत, असम में 14.4 प्रतिशत, त्रिपुरा में 11.8 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 12.8 प्रतिशत) इतना ही नहीं राज्यों के भीतर विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में सकल नामांकन अनुपात राज्य के औसत से नीचा है, उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश के 36 जनपदों में सकल नामांकन अनुपात राज्य के औसत से नीचा है। विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों में सकल नामांकन अनुपात में अन्तर इंगित करता है कि देश में उच्च शिक्षा तक पहुँच के अवसर किस सीमा तक असमान है। सकल नामांकन अनुपात को 25 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत स्तर तक ले जाने से भी सारे भारत में उच्च शिक्षा तक पहुँच का स्तर एक जैसा होगा इसमें सन्देह ही है क्योंकि उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार के पास आर्थिक संसाधन तो सीमित है ही इच्छा शक्ति की भी कमी है।

KEYWORDS: *उच्च शिक्षा,सकल नामांकन, सकल नामांकन अनुपात*

उच्च शिक्षा में पहुँच से तात्पर्य 18–29 आयु वर्ग के लोगों तक उच्च शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने से हैं। सैद्धान्तिक रूप से स्थिति यह होनी चाहिए कि जो विद्यार्थी कक्षा–12 उत्तीर्ण करे उसे उसकी योग्यता और पसन्द के अनुसार उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिल जाये। ताकि वह अपना भविष्य सँवारने लायक योग्यता और कौशल प्राप्त कर सके। शिक्षा को व्यक्तित्व विकास का सर्वाधिक सशक्त साधन माना जाता है। जब क्षमता विकास की बात की जाती है तो प्राफेसर अमर्त्य सैन, प्रो0 न्यूसबाम जैसे विचारक गुणवत्ता हेतु शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कनैडी ने कहा था–"हमें शिक्षा को हमारी महान क्षमताओं के विकास के साधन के रूप में समझना चाहिए, क्योंकि हममें से प्रत्येक में एक निज आशा और स्वप्न है जो यदि पूरा हो जाता है तो वह प्रत्येक के लिये एक लाभदायक साधन के रूप में परिलक्षित होता है और हमारे राष्ट्र को अधिक सुदृढ़ बनाता है।"(www.compact.org/resources/future of campù)

कहा जाता है कि शिक्षा समाज में समानता लाने का सबसे सशक्त साधन है *(Education is the great equalizer).* विश्व के विकसित देशों में विकास के विभिन्न सोपानों के अन्तर्गत शिक्षा ने समाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में समानता स्थापित करने का कार्य किया है। समाज के जो वर्ग दबे–कुचले और उपेक्षित रहे हैं उन लोगों को जब शिक्षित होने का अवसर मिला तो उन्होंने राजनीति, प्रशासन, न्यायपालिका, विज्ञान, प्रौद्योगिकी व चिकित्सा आदि सभी क्षेत्रों में नित नयी ऊँचाइयाँ छूकर न केवल स्वयं को स्थापित किया वरन् वह दलित समाज के लोगों के लिए आदर्श व्यक्तित्व रोल *(Role Model)* बने। नोबल पुरस्कार और 'भारत रत्न' से सम्मानित स्व॰ नेल्सन मण्डेला से अच्छा उदाहरण और कोई हो ही नहीं सकता। भारत में 'भारत रत्न' डॉ॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर, पूर्व राष्ट्रपति आर॰के॰ नारायण, पूर्व उप–प्रधानमन्त्री जगजीवन राम ऐसे ही आदर्श हैं जो समाज के उपेक्षित और अशिक्षित वर्गों से आये और उन्होनें उच्च शिक्षा प्राप्त कर न केवल स्वयं को स्थापित किया वरन् सम्पूर्ण समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत बने।

समय के साथ–साथ परिस्थितियाँ बदली हैं। अब रोजगार और धनोपार्जन के लिये उच्च शिक्षा का महत्त्व बढ़ गया है। आर्थिक दृष्टि से जागृत उत्कृष्ट, आरामदायक और एक सफल जीवन के लिये उच्च शिक्षा को अपरिहार्य और सफलता की कुँजी माना जाता है। उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुँच परिवार, समाज और राष्ट्र को समृद्धता की ओर ले जाती है। उच्च शिक्षा में

1: Corresponding Author

विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की जा सकती है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री धारक उच्च कौशल युक्त पेशेवर वर्ग का प्राथमिक स्रोत है, जो सामान्य प्रशासन विभिन्न प्रकार के उद्योगों जैसे–जैव प्रोद्यौगिकी, दूर–संचार, ऑटो–मोबाइल्स, अधोरचना निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय और बैंकिंग सेवाएँ आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उच्च शिक्षा में पहुँच का मापन :

उच्च शिक्षा में पहुँच का मापन सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio-G.E.R.) के रूप में मापा जाता है। सकल नामांकन अनुपात का अर्थ 18–23 वर्ष आयु वर्ग की कुल जनसंख्या से उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत् व्यक्तियों के अनुपात से लगाया जाता है।

$$\text{उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात} = \frac{\text{18–23 आयु वर्ग में उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन कराने वालों की संख्या}}{\text{18–23 आयु वर्ग में व्यक्तियों की कुल जनसंख्या}} \times 100$$

भारत में सकल नामांकन अनुपात का आकलन मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से संकलित आँकड़ों तथा जनगणना से प्राप्त आँकड़ों के प्रक्षेपण से लगाया जाता है। विगत कुछ वर्षो से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किये गये विभिन्न सर्वेक्षणों से भी सकल नामांकन अनुपात का आगणन किया जाता है।(यूजीसी रिपोर्ट 2008, पृ 3)

उच्च शिक्षा में पहुँच का विश्लेषण समग्र रूप से तो किया ही जाना चाहिए। इसके साथ–साथ इसकी तुलना विभिन्न क्षेत्रों और देशों के साथ किये जाने से भी यह पता चलता है कि किसी देश अथवा क्षेत्र में 18–23 वर्ष की आयु वर्ग में कितने प्रतिशत लोग उच्च शिक्षा में अध्ययन कर पाते हैं और विभिन्न देशों और क्षेत्रों की तुलना में उनकी स्थिति क्या है? इसी से उच्च शिक्षा के पिछड़ेपन का पता चलता है। अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक उच्च शिक्षा तक पहुँच के मामले में बाधाएँ हैं। निर्धनता के उच्च स्तर के चलते प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई अधूरी छोड़कर घर बैठ जाने वाले किशोरों का अनुपात अभी भी अधिक है। समाज में महिलाओं का निम्नतर स्तर उच्च शिक्षा संस्थानों तक उनकी सीमित पहुँच, संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग, राजनीतिक इच्छा–शक्ति की कमी आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो उच्च शिक्षा तक पहुँच की प्रमुख रूकावटें हैं।(वही पृ 14)

उच्च शिक्षा में पहुँच को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं:

- उच्चशिक्षा के प्रति अपेक्षाएँ :
  - विद्यार्थियों की अपेक्षाएँ
  - अभिभावकों की अपेक्षाएँ
- अभिभावकों का शैक्षणिक स्तर
- परिवार की आय
- सामाजिक पुनरोत्पादन का स्वरूप
- सहायता करने वाले/प्रेरक अभिकर्ता
  - अभिभावक
  - शिक्षक
  - विशेषज्ञ
- वित्तीय सहायता
- ऊँची लागत वाली उच्च शिक्षा पाने के लिए साख सुविधा।

भारत में उच्च शिक्षा में पहुँच का स्तर :

संख्यात्मक रूप से उच्च शिक्षा में स्वातन्त्र्योत्तर काल में अच्छी वृद्धि दिखायी देती है। वर्ष 1950–51 में भारत में कुल 396138 विद्यार्थी उच्च शिक्षा में शिक्षारत थे जिसमें से मात्र 11.3 प्रतिशत ही छात्राएँ थीं। वर्ष 2012–13 में 29629022 विद्यार्थी उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षारत हैं जिनमें से 44.8 प्रतिशत छात्राएँ हैं। विगत 60 वर्षों में छात्रों के नामांकन में 45.05 गुना, छात्राओं के नामांकन में 282.48 गुना की वृद्धि हुई है। कुल वृद्धि 72.10 गुना है।[4] छात्रों की तुलना में छात्राओं में उच्च शिक्षा नामांकन की ऊँची दर यह दर्शाती है कि विगत दशकों में भारत में लड़कियों एवं महिलाओं के प्रति समाज एवं परिवार दोनों ही स्तर पर सोच में परिवर्तन आया है तथा लड़कियों को शिक्षित करके उन्हें स्वावलम्बी तथा आत्म निर्भर बनाना अब अधिकांश परिवारों की प्राथमिकता है। उच्च शिक्षा के प्रति लड़कियों के बढ़ते लगाव के पीछे बिहार राज्य की "बालिकाओं को साइकिल वितरण योजना" तथा उत्तर प्रदेश की "कन्या विद्याधन योजना" जैसी योजनाओं का भी बड़ा योगदान है। इस तथ्य को "इण्डिया ह्यूमन डेवलेपमेन्ट रिपोर्ट–2011" में भी स्वीकार किया गया है।(ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011)

समय–समय पर की जाने वाली जनगणनाओं में भी साक्षरता एवं शिक्षा स्तर से सम्बन्धित आँकड़े एकत्रित किए जाते

तालिका : भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (18–23 वर्ष)

वर्ष	सभी वर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
2001–02	9.3	6.7	8.1	7.7	3.6	5.8	5.8	2.6	4.7
2002–03	10.3	7.5	9.0	8.0	3.7	6.0	5.6	2.4	4.0
2003–04	10.6	7.7	9.2	8.3	4.3	6.4	6.2	3.1	4.7
2004–05	11.6	8.2	10.0	8.1	5.2	6.7	6.3	3.5	4.9
2005–06	13.5	9.4	11.6	10.1	6.4	8.4	8.6	54.7	6.6
2006–07	14.5	10.0	12.4	11.5	6.9	9.4	9.5	5.5	7.5
2007–08	15.2	10.7	13.1	13.2	8.6	11.0	12.4	6.7	9.2
2008–09	15.8	11.4	13.7	12.5	8.3	10.5	11.6	6.7	9.2
2009–10	17.1	12.7	15.0	13.0	9.0	11.1	13.1	7.5	10.3
2010–11	20.8	17.9	19.4	14.6	12.3	13.5	12.9	9.5	11.2
2011–12	22.1	19.4	20.8	15.8	13.9	14.9	12.4	9.7	11.0
2012–13	22.3	19.8	21.1	16.0	14.2	15.1	12.4	9.7	11.0

स्रोत : भारत सरकार (2014) : एजूकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लान्स, पूर्वो., पृ॰ 24.

हैं। यद्यपि ये आँकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि उनमें देश के सभी व्यक्तियों के बारे में सूचनाएँ प्राप्त की जाती है। तथापि इनमें समय अन्तराल अधिक होने के कारण इनकी उपयोगिता कम रह जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के शिक्षा की विविधता से सम्बन्धित आँकड़े जनवरी 2015 तक भी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। 15 वर्ष पुराने जनगणना 2001 के आँकड़ों के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात मात्र 8.99 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 24.52 प्रतिशत था। जबकि सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए सकल नामांकन अनुपात 13.8 प्रतिशत था। अनुसूचित जातियों के लिए सकल नामांकन अनुपात 8.4 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत था।

तालिका से भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात की जो जानकारी प्राप्त होती है, उसके अनुसार यह तो पता चलता है कि समग्र रूप से सकल नामांकन अनुपात वर्ष 1950–51 में 0.40 से लगभग 53 गुना बढ़ कर वर्ष 2012–13 में 21.1 हो गया है। सकल नामांकन अनुपात में यह सुधार देश की अपेक्षाओं – आर्थिक विकास का स्तर तथा देश को प्राप्त 'जनांकिकीय लाभांश' के दोहन की सम्भाव्यता – के अनुरूप नहीं है। सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए सकल नामांकन अनुपात 2001–02 में 8.1 से बढ़ कर वर्ष 2012–13 में 21.1 हो गया। इसी अवधि में अनुसूचित जातियों में सकल नामांकन अनुपात 5.8 से बढ़कर 15.1 ही हो सका। अनुसूचित जनजातियों के लिए यह 4.2 से बढ़कर 2012–13 में 11.0 हो पाया।

वर्ष 2001–02 में अनुसूचित जातियों के लिए सकल नामांकन अनुपात समग्र जनसंख्या के लिए सकल नामांकन अनुपात का 71.60 प्रतिशत था जो वर्ष 2012–13 में भी 71.56 प्रतिशत है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के लिए सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2001–08 में समग्र सकल नामांकन अनुपात का 51.85 प्रतिशत था जो वर्ष 2012–13 में 52.13 प्रतिशत ही हो पाया है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि उच्च शिक्षा में सामाजिक स्तर पर जो विषमता 2001–02 में विद्यमान थी वह आज भी विद्यमान है। आर्थिक विकास की उच्च दर के वातावरण में भी उच्च शिक्षा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के युवाओं – लड़कों एवं लड़कियों को बराबरी के स्तर पर सहभागिता प्राप्त नहीं हो सकी है।

राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभाग शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र– छात्राओं की संख्या के आधार पर सकल नामांकन अनुपात का आंकलन करते रहे हैं। वर्ष 2001–02 के बाद से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात की प्रगति को दर्शाया गया है। विगत वर्षों में उच्च शिक्षा में हुई प्रगति के चलते सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2001–02 में 8.1 प्रतिशत से बढ़कर 2012–13 में 21.1 प्रतिशत हो गया है। छात्रों के मामले में सकल नामांकन अनुपात इसी अवधि में 9.3 प्रतिशत से बढ़कर 22. 3 प्रतिशत हो गया तो छात्राओं में नामांकन अनुपात 6.9 प्रतिशत से बढ़कर 19.8 प्रतिशत हो गया। सकल नामांकन अनुपात में लौंगिक अन्तराल वर्ष 2001–02 में 2.6 प्रतिशतांक था जो वर्ष 2012–13 में 2.5 प्रतिशतांक है। इसका अर्थ यह है कि उच्च शिक्षा में पहुँच के मामले में छात्राएँ अभी भी छात्रों से उतनी ही पीछे हैं जितनी कि वे एक दशक पूर्व थीं।

उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वर्ष 2001 के बाद से घातांकीय वृद्धि हुई है । वर्ष 2001–02 से 2011–12 के बीच सकल नामांकन अनुपात में 7.91 प्रतिशत की चक्रवृद्धीय औसत वार्षिक दर *(CAGR)* से वृद्धि हुई है। छात्रों में नामांकन दर में यह वृद्धि 9.34 प्रतिशत तथा छात्राओं में 6.36 प्रतिशत है।(भारत सरकार, 2012 पृ 4) यद्यपि भारत में उच्च शिक्षा की माँग में सतत रूप से किन्तु धीमी गति से वृद्धि हो रही है। तथापि सकल नामांकन अनुपात में राज्यवार भारी असमानताएँ विद्यमान है (तालिका)। सकल नामांकन अनुपात जहाँ झारखण्ड में मात्र 8.4 प्रतिशत है वहीं तमिलनाडु में यह 38.2 प्रतिशत तक ऊँचा है। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उ0प्र0, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहाँ उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है वहीं, अरूणांचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु तथा उत्तराखण्ड में सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय स्तर से ऊँचा है।

भारत का जनमानस रूढ़िवादी सोच से निकलकर आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। इसमें उच्च शिक्षा का विशेष योगदान है। स्वातंत्र्योत्तर काल में भारत में उच्च शिक्षा में परिमाणात्मक रूप से विस्तार उच्च शिक्षा तक पहुँच के स्तर में अपेक्षित सुधार के रूप में परिलक्षित नहीं हुआ है। इसका एक प्रमुख कारण जनसंख्या की तीव्र संवृद्धि भी रहा है। जनसंख्या की उच्च संवृद्धि दर से भारत को "जनांकिकीय लाभांश" की स्थिति भी प्राप्त हो रही है लेकिन इसका यथोचित दोहन नहीं हो पा रहा है। उच्च शिक्षा पाने के लिए अर्ह आयु वर्ग (18–23) के लड़कों एवं लड़कियों की लगभग 20–23 प्रतिशत तक जनसंख्या ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर पा रही है। उच्च शिक्षा तक पहुँच के मामले में लिंग मूलक, ग्रामीण–नगरीय, सामाजिक–वर्गीय तथा धार्मिक स्तर पर वृहत स्तरीय विषमताएँ विद्यमान हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा मुसलमानों की उच्च शिक्षा तक पहुँच का स्तर समाज के अन्य वर्गों के युवाओं की उच्च शिक्षा तक पहुँच के स्तर से नीचा है। कतिपय राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की बालिकाएं/युवतियों में सकल नामांकन अनुपात का नीचा होना यह दर्शाता है कि शताब्दियों से चली आ रही सामाजिक–आर्थिक विषमताएं उच्च शिक्षा तक पहुँच के स्तर में भी परिलक्षित हो रहीं हैं। आदिवासी बहुल राज्यों में समग्र रूप से पहॅच का स्तर तो नीचा है ही, इन्हीं राज्यों में अनुसूचित जन जातियों की महिलाएँ तो उच्च शिक्षा पाने से वंचित ही कही जा सकती हैं। मुस्लिम महिलाओं में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात का नीचा होना यह दर्शाता है कि महिलाओं को साक्षर बनाने में मुस्लिम समाज की सोच में अभी भी कोई व्यापक बदलाव नहीं है। देश के दो पिछड़े राज्यों – उत्तर प्रदेश तथा बिहार – में बालिकाओं को सार्थक दृष्टि से उच्च शिक्षित करने के लिए किए गए दो अभिनव प्रयासों – (क) उत्तर प्रदेश में कन्या विद्याधन योजना एवं (ख) बिहार में कन्याओं को मुफ्त साइकिल वितरण योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसी प्रकार की पहल ऐसे क्षेत्रों में अधिक कारगर हो सकती है जहॉ सकल नामांकन दर नीची है।

सन्दर्भ

कैम्पस काम्पैक्ट : एन्श्योरिंग हायर एजूकेशन एक्सेस फार आल : ए न्यू डील फार इक्वलाइजिंग ओपोर्च्यूनिटीज एण्ड एनेविलिंग होटस एण्ड ड्रीम्स, www. compect.org/resourees/future of campus.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (2008) : *हायर एजूकेशन इन इण्डिया इश्यूज रिलेटेड टु एक्सपेंशन, इंक्लूसिवनेस क्वालिटी एण्ड फायनेन्स,* नई दिल्ली,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (2008) : *हायर एजूकेशन इन इण्डिया इश्यूज कन्सर्न्स एण्ड न्यू डाइरैक्शन्स, रिकेमेन्डेशन्स ऑफ यूजीसी* गोल्डन जुबली सेमीनार

भारत सरकार (2013) : *राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान,* नई दिल्ली, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय,

इण्डिया ह्यूमन डेवलपमेन्ट रिपोर्ट (2011).

भारत सरकार (2012) : *स्टैटिस्टिक्स ऑफ हायर एण्ड टेक्नीकल एजूकेशन 2008–09,* नई दिल्ली,मानव संसाधन विकास मंत्रालय